विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

राष्ट्रीय कौशल दक्षता संरचना (एन.एस.क्यू.एफ.) के अंतर्गत व्यावसायिक स्नातक (बी0वोक0) (बैचलर ऑफ वोकेशन) पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संचालित करने हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

काफी लम्बे समय से अर्थव्यवस्था की उभरती हुई अपेक्षित जरूरतों को उच्चतर शिक्षा प्रणाली के साथ संरेखित करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था ताकि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आवृत्त स्नातकों को रोजगार एवं उद्यमों में पर्याप्त जानकारी एवं दक्षताएँ प्राप्त हो सकें। एक समग्र एवं संपूर्ण तथा सुचारू रूप से शिक्षित स्नातक को तैयार करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली को अपनी पाठ्यचर्या में विभिन्न उद्योगों की अपेक्षताओं को नवोन्मेषी एवं लचीले रूप से निगमित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढॉचा (नेशनल वोकेशन एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क–एन.वी.ई.क्यू.एफ) के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सितम्बर, 2011 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसके पश्चात, वित्त मंत्रालय ने, कुशलता–विकास पर मंत्रिमंडल की समिति द्वारा 19 दिसम्बर, 2013 की अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय कौशल दक्षता संरचना (एन0एस0क्यू0एफ0) की अधिसूचना जारी की जो कि एन0वी0ई0क्यू0एफ0 के अतिक्रमण में है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत कई आंचलिक कौशल परिषदों का गठन किया गया है/जा रहा है आंचलिक कौशल परिषदों जो कि संबद्ध उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। आंचलिक कौशल परिषदों के अधिदेशों में से एक अधिदेश का लक्ष्य अपने संबद्ध उद्योगों में विभिन्न कार्यों की भूमिकाओं के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास करना है। रोजगार के पात्र स्नातकों के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में विशिष्ट कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक निपुणताओं को अन्तः–स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

यूजीसी ने महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कौशल विकास आधारित उच्च शिक्षा की एक परियोजना का शुभारम्भ किया है जिसमें व्यावसायिक स्नातक (बैचलर ऑफ वोकेशन) की डिग्री दी जायेगी तथा जिसमें एन0एस0क्यू0एफ0 के अंतर्गत बहुआयामी निकास हैं जैसे डिप्लोमा/उन्नत डिप्लोमा। व्यावसायिक स्नातक (B.Voc.) पाठ्यक्रम उन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकेन्द्रित हैं जो पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं तथा जिसके अंतर्गत विस्तृत आधार युक्त सामान्य शिक्षा के साथ उनकी विशिष्ट कार्य भूमिकाएँ एवं उनके NOS भी निगमित होंगे। इसके माध्यम से व्यावसायिक स्नातक (B.Voc.) पूरा करने में छात्रों को उचित ज्ञान के माध्यम से उपयुक्त रोजगार प्राप्त करके एवं उद्यमी बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने हेतु सार्थक भूमिका के निर्वहन में सहायता मिलेगी।

बी.वोक.(बैचलर ऑफ वोकेशन) के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश

2. उद्देश्य

2.1 किसी भी व्यवसाय एवं सामान्य शिक्षा से संबद्ध निपुणताओं एवं उपयुक्त पाठ्य विवरणों के न्यायोचित सम्मिश्रण को उपलब्ध कराना।

2.2 यह सुनिश्चित करना कि छात्रों के पास पर्याप्त ज्ञान एवं कुशलताएँ हैं ताकि प्रत्येक पाठ्यक्रम के समापन की स्थिति में वे कार्य निष्पादन के लिए तत्पर बने रहें।

2.3 पूर्व–परिभाषित प्रवेश (pre–defined entry) एवं बहुआयामी निर्गम स्थलों के माध्यम से छात्रों को लचीलापन उपलब्ध कराना।

2.4 उच्च शिक्षा के स्नातक पूर्व स्तर के अंतर्गत एन0एस0क्यू0एफ0 को एकीकृत करना जिससे स्नातकों की रोजगार की संभावना सवंर्धित हो एवं उद्योगों की अनिवार्यताएँ भी पूरी हो सकें।

2.5 10+2 प्रणाली को व्यावसायिक विषयों के साथ सफल करने वाले छात्रों को प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट गत्यात्मकता उपलब्ध कराना।

3. प्रमाणन (एवार्डों) के स्तर

प्रमाणन स्तरों का विस्तार डिप्लोमा/उन्नत डिप्लोमा/बी0वी0ओ0सी0 का होगा–जो किसी एक या और अधिक संख्या में किसी व्यावसायिक अध्ययन क्षेत्र से होगा तथा जो विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रदान किए जाएँगें। इसे तालिका I में आरेखित किया गया है:

तालिका 1: एवार्ड

एवार्ड	अवधि	एन.एस.क्यू.एफ. स्तर के समरूप
डिप्लोमा	1 वर्ष	5
उन्नत डिप्लोमा	2 वर्ष	6
व्यावसायिक स्नातक (बी.वोक.) डिग्री	3 वर्ष	7

प्रत्येक एवार्ड अपने वाक्यांश/सम्पूर्ण स्वरूप से कुशलताओं की विशेषज्ञता को विशिष्ट रूप से व्यक्त करेगा–उदाहरणार्थ :–

- बी.वीओसी (अक्षय ऊर्जा प्रबन्धन)
- बी.वीओसी (खुदरा प्रबन्धन)
- बी.वीओसी (खुदरा प्रबन्धन एवं सूचना प्रोद्योगिकी)
- अग्रवर्ती डिप्लोमा (खाद्य संसाधन)
- अग्रवर्ती डिप्लोमा (स्वास्थ्य सेवा)
- अग्रवर्ती डिप्लोमा (आतिथ्य एवं पर्यटन)
- डिप्लोमा (पादप गृह प्रोद्योगिकी)(ग्रीन हाउस टैक्नोलोजी)
- डिप्लोमा (बीपीओ)
- डिप्लोमा (स्वर्ण आभूषणों का रूपांकन)

बी.वोक.(बैचलर ऑफ वोकेशन) के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश

व्यावसायिक क्षेत्रों एवं संबद्ध विशेषज्ञताओं की एक प्रस्तावित सूची निम्नवत् प्रस्तुत हैः
स्थानीय उद्योगों में रोजगार की संभावना को दृष्टिगत करते हुए, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अतिरिक्त क्षेत्रों/विशेषज्ञताओं को चिन्हित करना चाहेंगे तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों(एन.ओ.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे।

क्र.सं.	क्षेत्र	विशेषज्ञता
1.	मोटर गाड़ियॉ	
	1.	यन्त्र परीक्षण
	2.	वाहन परीक्षण
	3.	वाहन गुणवत्ता
	4.	स्वचालित इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स
	5.	कृषि उपकरण एवं मशीनें
2.	मनोरंजन	
	1.	रंगमंच एवं रंगशिल्प
	2.	समसामयिकी पाश्चात्य नृत्य
	3.	रंगमंच अध्ययन
	4.	अभिनय
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	
	1.	सॉफ्टवेयर विकास
4.	दूर संचार	
	1.	मोबाइल सम्प्रेषण
5.	विपणन (मार्किटिंग)	
	1.	खुदरा
6.	कृषि	
	1.	कृषि मशीनरी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी
	2.	पादप गृह प्रौद्योगिकी
	3.	नवीकरण योग्य ऊर्जा
	4.	खाद्य संसाधन एवं अभियांत्रिकी
	5.	मृदा एवं जल संरक्षण
7.	निर्माण	
	1.	भवन मशीनरी
8.	अनुप्रयुक्त कलाएँ	
	1.	फैशन प्रौद्योगिकी
	2.	आन्तरिक रूपांकन
	3.	आभूषण रूपांकन
9.	पर्यटन	
	1.	पर्यटन एवं सेवा उद्योग
10.	मुद्रण एवं प्रकाशन	
	1.	मुद्रण प्रौद्योगिकी

4. पात्रता/लक्ष्य

यूजीसी अधिनियम 1956 की धाराओं 2(एफ) एवं 12(बी) में आवृत्त ऐसे समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय जिन्हें यूजीसी से अनुदान मिल रहा है वे इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

5. बी.वोक. में प्रवेश की पात्रता

(बैचलर इन वोके.) पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता की शर्त है कि किसी भी विषय में 10+2 अथवा इसकी समतुल्य अर्हता हो।

6. पाठ्यचर्या

6.1 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सामान्य शिक्षा एवं कौशल विकास घटकों का उपयुक्त सम्मिश्रण होगा। पाठ्यचर्या प्रस्तावित करने से पूर्व पाठ्यक्रमों के विवरणों को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

6.2 कौशल विकास के घटकः

(i) कौशल विकास घटकों का संकेन्द्र, छात्रों को उपयुक्त ज्ञान अभ्यास एवं मनोवृत्ति के साथ सज्जित करना है ताकि वे कार्य के प्रति तत्पर बने रहें। उद्योगों के आवश्यकतानुसार कौशल विकास घटक उन उद्योगों से सापेक्ष होने चाहिए।

(ii) पाठ्यचर्या में उन विशिष्ट कार्य भूमिकाओं के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक अन्तः स्थित होने चाहिए जो उद्योग क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। इससे राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (National Occupational Standards) में विनिर्दिष्ट अधिगम संबंधी परिणामों तक छात्रों द्वारा पहुँच संभव हो सकेगी।

(iii) कौशल विकास घटक का समग्र रूपांकन उस चयनित कार्य भूमिका के साथ मिलाकर ऐसा होना चाहिए कि वह एक या दो प्रक्षेत्रों में सुविस्तृत विशेषज्ञता को संभव कर दें।

(iv) किसी स्थिति में यदि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.ओ.एस.) किसी विशिष्ट विचार क्षेत्र कार्य भूमिका के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से इस लक्ष्य के प्रति उस पाठ्यचर्या, कार्य तत्परता की कुशलताओं पर भी संकेन्द्रित रहनी चाहिए।

(v) तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष यह पाठ्यचर्चा, कार्य तत्परता की कुशलताओं पर भी संकेन्द्रित रहनी चाहिए।

(vi) पाठ्यचर्या के विरचन में, व्यावहारिक काम, निर्दिष्ट कार्य में प्रशिक्षण, छात्रों के संवितरित भागों पर एवं परियोजना कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

6.3 सामान्य शिक्षा घटकः

(i) सामान्य शिक्षा घटक द्वारा विश्वविद्यालय के सामान्य मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों पर बल दे व प्रस्तुत करे जिनसे समग्र विकास उपलब्ध हो सके। तथापि यह पाठ्यक्रम सम्पूर्ण पाठ्यचर्या के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ii) भाषा एवं सम्प्रेषण कुशलताओं पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए।

6.4 पाठ्यचर्या इस प्रकार से रूपांकित की जाए ताकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अन्त में छात्र, एन.एस.क्यू.एफ. के 5वें, छठे एवं सातवें चरण से जुड़े निम्नांकित स्तर से जुड़े विवर्णकों (Descriptors) पर पूरे उतरे :

स्तर	आवश्यक प्रक्रिया	व्यावसायिक जानकारी	व्यावसायिक कुशलता	पाठ्यांश कुशलता	दायित्व
स्तर 5	निर्धारित काम जिसमें सुविकसित कुशलता जरूरी है जिसमें सुपरिचित पाठ्य विवरणों का स्पष्ट विकल्प होगा	किसी भी कार्य अथवा अध्ययन क्षेत्र में तथ्यों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं एवं सामान्य संकल्पनाओं की जानकारी	संज्ञानात्मक एवं व्यावहारिक कुशलताओं का विस्तार जो मूलभूत विधियों, माध्यमों, सामग्रियों एवं सूचनाओं के चयन एवं प्रयोग द्वारा कार्य सिद्ध करने तथा समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक है।	वांछित गणितीय निपुणता, सामाजिक, राजनैतिक, सूचना संग्रहण एवं व्यवस्थापन तथा सम्प्रेषण की कुशलता।	स्वयं के कार्य की एवं अधिगम का दायित्व तथा अन्य लोगों के कार्य का उनके अधिगम का कुछ दायित्व।
स्तर 6	इसकी मांग है कि विशिष्ट तकनीकी निपुणता ज्ञान की स्पष्टता एवं अभ्यास का विस्तार–विस्तृत गतिविधियों में संलिप्त हों, जिनमें मानक/गैर मानक अभ्यास भी शामिल हों	किसी भी एक कार्य क्षेत्र अथवा अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत परिप्रेक्ष्य की तात्विक एवं सैद्धान्तिक जानकारी	किसी भी एक कार्य अथवा अध्ययन क्षेत्र में आने वाली विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु संज्ञानात्मक एवं व्यावाहारिक कुशलता	समुचित गणितीय परिकलन, सामाजिक एवं राजनैतिक समझ, आंकड़े एकत्र करने, सूचना संगठित करने एवं तार्किक सम्प्रेषण तथ्यात्मक रूप से श्रेष्ठ हो	स्वयं के कार्य एवं अधिगम के लिए दायित्व तथा अन्य के कार्य एवं अधिगम का सम्पूर्ण दायित्व।
स्तर 7	विस्तृत विशिष्ट सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक निपुणताओं का होना आवश्यक है जिसमें परिवर्तनशील दिनचर्या एवं गैर–दिनचर्या सम्मिलित है	किसी भी निर्धारित काम अथवा अध्ययन क्षेत्र की विस्तृत तथ्यात्मक एवं सैद्धान्तिक जानकारी जो उनके व्यापक परिप्रेक्ष्य में है।	संज्ञात्मक एवं व्यावहारिक कुशलताएँ जो किसी भी कार्य अथवा अध्ययन क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी हैं	श्रेष्ठ तार्किक एवं गणितीय कुशलता, सामाजिक राजनैतिक मामलों की समझ एवं प्रकृति व पर्यावरण की उपर्युक्त समझ, सूचना संग्रह एवं गठन में योग्यता सम्प्रेषण एवं प्रस्ततुतीकरण की योग्यता	पूरे कार्य के योगदान एवं विकास का पूरा दायित्व

अ. व्यावसायिक ज्ञान वह है जहॉ किसी शिक्षार्थी को अपने विषय वस्तु के संदर्भ में सब कुछ जानकारी एवं उसकी समझ हो।

ब. व्यावसायिक निपुणताओं का तात्पर्य है जहॉ शिक्षार्थी कार्य पूरा करने में सक्षम है।

स. मूल प्रवीणताओं से तात्पर्य उन आधारगत निपुणताओं से है जो दक्षता से युक्त हैं और जिसमें ऐसी विधियॉ सामग्री, माध्यम एवं उपकरण शामिल हैं जो इस कार्य के निष्पादन के लिए जरूरी है तथा उपकरण शामिल है जो इस कार्य के लिए आवश्यक है।

ड़. दायित्व के दृष्टिकोण के अन्तर्गत यह निर्धारित होते हैं–(i) कार्य के सम्बन्धों का स्वरूप (ii) स्वयं के लिए एवं अन्य के लिए दायित्व का स्तर (iii) परिवर्तन का प्रबन्धन (iv) अपनी कार्यवाइयों की जबाबदेही

6.5 क्रेडिट परिकलन के दिशानिर्देश

6.5.1 इस खण्ड में क्रेडिट ढॉचे के दिशानिर्देश हैं, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को इन दिशानिर्देशों का उपयोग करना चाहिए अथवा उनके अनुकूलन करना चाहिए।

6.5.2 समय को क्रेडिट घण्टों में रूपांतरित करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए :–

अ) एक क्रेडिट का तात्पर्य है– 15 ऐसे घण्टे (कक्षा के) जो प्रति घण्टे 60 मिनट का होगा– जो सिद्धान्तों, कार्यशालाओं/प्रयोगशाला एवं अनुशिक्षण कक्षाओं के लिए है।

ब) अन्तरंग अवधि/क्षेत्रीय कार्य के लिए समतुल्य घण्टों की जो क्रेडिट अधिमानता दी जाएगी वह व्याख्यान/कार्यशालाओं के लिए प्रदान किए गए घण्टों के 50 प्रतिशत की होगी।

स) स्व–अधिगम के लिए इ–विषय वस्तु पर अथवा अन्य किसी और पर आधारित , समतुल्य अध्ययन घण्टों के लिए क्रेडिट अधिमानता, व्याख्यान/कार्यशालाओं के लिए प्रदान किए गए अध्ययन घण्टों का 50 प्रतिशत अथवा इससे कम होगी।

बैचलर आफ वोकेशन (व्यावसायिक स्नातक). के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश

6.5.3 प्रत्येक वर्ष के लिए प्रस्तावित क्रेडिट निम्नवत् हैं :

तालिका–3

एन.एस.क्यू.एफ. स्तर	कुशलता घटक क्रेडिट	सामान्य शिक्षा क्रेडिट	सामान्य तिथिजन्य अवधि	निर्गम का समय/एवार्ड
वर्ष 3	36	24	छह सत्र	व्यावसायिक स्नातक
वर्ष 2	36	24	चार सत्र	उन्नत डिप्लोमा
वर्ष 1	36	24	दो सत्र	डिप्लोमा
कुल	108	72		

6.6 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को , उद्योगों के परामर्श से, पाठ्यविवरण विकसित करना चाहिए। उद्योगों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अकादमिक निकायों के अभिन्न अंग होने चाहिए। ऐसा करते समय, उन्हें पाठ्यविवरणों के कुशलता संबंधी घटकों को, संबद्ध संभागीय कौशल परिषदों द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.ओ.एस.) के साथ सुयोजित करने का प्रयास करना चाहिए।

6.7 पाठ्यविवरण के कुशलता विकास घटकों के व्यावहारिक / सक्रिय अंशों पर या तो संस्थान के भीतर अथवा किसी विनिर्दिष्ट उद्योग भागीदार की अवस्थिति पर आमने–सामने की प्रणाली द्वारा सामान्यतः क्रियान्वयन होना चाहिए। तथापि प्राप्त की जाने वाली कुशलता के स्वरूप के कारण, यदि उद्योग, इसकी उपलब्धि सम्मिश्रित अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से निर्धारित करता है, तो उसका ही अनुकरण किया जाना चाहिए। सार रूप में, अधिगम परिणामों पर बल दिया जाना चाहिए न कि निवेश अथवा प्रक्रियाओं पर। पाठ्यविवरण के सामान्य शिक्षा घटक पर किसी भी प्रविधि द्वारा कार्यवाई की जा सकती है, परन्तु गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

6.8 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा चयनित विशेषज्ञताओं को उद्योगों में विद्यमान/पूर्वानुमानित कुशलता अन्तरालों पर आधारित किया जाना चाहिए।

6.9 पाठ्यविवरणों के साथ–साथ, प्रस्तुत किए गए पाठ्य विषयों की सापेक्षता महत्वपूर्ण है। अतः उद्योगों की आवश्यकताओं को एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एन.ओ.एस) को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के साथ परामर्श करके पाठ्यचर्या का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं उसकों आवधिक रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है। एक निरन्तर एवं गत्यात्मक प्रविधि जो उनकी कार्यशैली में अन्तर्निहित रहे, ऐसे रूप में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा इस प्रणाली को निगमित किया जाना चाहिए।

6.10 इन पाठ्यक्रमों के सम्प्रेषण के प्रभावीपन को सुधारयुक्त बनाने के लिए विश्वविद्यालय /महाविद्यालय उपयुक्त रूप में प्रोद्योगिकी का उपयोग करें।

7. परीक्षण एवं आकलन

7.1 सामान्य शिक्षा घटक का आकलन विश्वविद्यालय द्वारा उनके मौजूदा मानकों एवं प्रविधियों के अनुसार किया जाना चाहिए।

7.2 कौशल विकास घटकों के आकलन को अनिवार्य रूप से वांछित कुशलताओं के व्यावहारिक प्रदर्शन पर संकेन्द्रित होना चाहिए। कौशल विकास घटक के लिए परीक्षण एवं आकलन के एक ढॉचे के रूपांकन के लिए विश्वविद्यालय के संबंधित संभागीय कौशल परिषद से परामर्श करना चहिये। व्यावहारिक आकलन के लिए, विश्वविद्यालय, आंचलिक कौशल परिषदों/उद्योग सम्मेलनों के निर्दिष्ट निर्धारकों का लाभ उठाना चाहेगा।

7.3 बैचलर आफ वोकेशन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्याालय में आवश्यक रूप से क्रेडिट आधारित आकलन एवं मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए।

8. बी.वोक. पाठ्यक्रम के लिए अवसंरचना एवं शिक्षक

8.1 कुशलताओं के आमने–सामने प्रत्यक्ष सम्प्रेषण के लिए तथा ऐसे अनुभवी लोगों के लिए, जिनकी व्यवस्था सहयोगी उद्योग से या प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा मान्य किसी संस्थान से सह संबद्ध होकर या तो उन्हें अपने अधीनस्थ रखा जा सकता है अथवा उनकी व्यवस्था की जा सकती है तथा इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पास प्रयोगशाला/कार्यशाला सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

8.2 सामान्य शिक्षा घटक के संचालन के लिए तथा कुशलता घटकों के लिए भी यदि वे सभी मौजूद हैं तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को अपने नियमित संकाय का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुबन्धात्मक एवं अतिथि आधार पर शिक्षकों को यूजीसी मानदण्डों के अनुसार रख सकते हैं।

8.3 इस परियोजना के अन्तर्गत एक प्राध्यापक एवं दो उपाचार्यों का प्रावधान है (XII वीं योजना अवधि में केवल अनुबन्धात्मक आधार पर)।

9. छात्र शुल्क

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक पाठ्यक्रमों के लिए जो शुल्क तन्त्र विद्यमान है उसी के अनुसार छात्र शुल्क का निर्णय किया जाना चाहिए।

10. अन्य शर्तें

10.1 बी.वोक. पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्रीय प्रणाली के अन्तर्गत एक क्रेडिट आधारित आकलन एवं मूल्यांकन विधि को अपनाना चाहिए।

10.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा बी.वोक. पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण उसके मौजूदा तन्त्र द्वारा अथवा किसी वैकल्पिक तन्त्र द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो।

10.3 बी.वोक. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को उपनियम विकसित करने चाहिए।

10.4 पाठ्यक्रम के उपनियमों में पुनः प्रवेश का प्रावधान शामिल होना चाहिए तथा प्रवेश प्राप्त करने के समय छात्रों द्वारा विशेषज्ञता विषयों के उपयुक्त चयन हेतु परामर्श तन्त्र की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

10.5 बी.वोक. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम दो कुशलता विशेषज्ञतायें प्रदान की जानी चाहिए।

11. वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रु.1.85करोड़ के समस्त आवंटन के अन्तर्गत वित्तीय सहायता तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नवत् शीर्षों के अनुसार प्रदान की जाएगी :

11.1 प्रारम्भिक सहायताः रु.50.00लाख की एकैकी सहायता जो प्रयोगशालाएँ/कार्यशाला स्थापना के लिए सुविधाओं, अध्यापन एवं अधिगम सामग्री, मशीनरी/उपकरणों एवं नवीकरण के लिए होगी। इसमें कोई भी नवीन भवन निर्माण आवृत्त नहीं होगा।

11.2 **संकायः** एक प्राध्यापक एवं दो उपाचार्य रु.75.00लाख तीन वर्षों के लिए (12वीं योजना अवधि के दौरान केवल अनुबन्धात्मक आधार पर) रु.25.00लाख प्रति वर्ष X 3 वर्ष रु.75.00लाख– समस्त आवंटित राशि के भीतर वास्तविक व्यय के आधार पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

11.3 इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में ही संस्थानों द्वारा संकाय की भर्ती की जानी चाहिए

11.4 अतिथि/विजिटिंग संकायः रु.50.00लाख प्रथम वर्ष के लिए, रु.10.00लाख द्वितीय वर्ष के लिए तथा रु.15.00लाख तृतीय वर्ष के लिएः

वर्तमान शिक्षक	रु.500/–प्रति लेक्चर
विजिंटिंग/अतिथि शिक्षक	रु.2,000/–प्रति लेक्चर

11.5 वार्षिक संचालन लागतः संचालन लागत वर्षिक रु.10.00 लाख प्रति वर्ष की होगी।

12. परियोजना के अन्तर्गत आवेदन प्रणालीः–

12.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय बी.वोक. पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक–I) सीधे यूजीसी में भेजें। तथापि, महाविद्यालय संबंधन करने वाले विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।

13. अनुलग्नक

(अ) बी.वोक. पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारुप जैसा अनुलग्नक–I में निर्दिष्ट है।

(ब) अधिदेश प्रारूप प्रस्तुत करने का प्रारूप अनुलग्नक II में दिया गया है

(स) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप अनुलग्नक III में दिया गया है।

(ड़) बी.वोक. पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए किए गए व्यय विवरण को प्रस्तुत करने का प्रारूप अनुलग्नक IV में दिया गया है।

(च) वार्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप अनुलग्नक V में दिया गया है।

अनुलग्नक– I

बी.वोक.पाठ्यक्रम के प्रस्ताव का प्रारूप

1. **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूरा विवरणः** कृपया सुनिश्चित करें कि अधोलिखित विवरण यूजीसी में प्रदत्त/पंजीकृत विवरण से पूरी तरह मेल खाता है।

1.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम			
2.	डाक का पूरा पता			
3.	संबंधन करने वाले विश्वविद्यालय का नाम			
4.	क्या यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) एवं 12 बी के अन्तर्गत आवृत्त है (यदि हाँ तो उस पत्र की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ/नहीं	क्या स्वशासी है?	हाँ/नहीं
5.	क्या महाविद्यालय सहायता प्राप्त अथवा स्व–वित्त पोषित है?			
6.	संस्थान के अध्यक्ष का नाम, पद एवं संपर्क विवरण (दूरभाष/फैक्स/मोबाइल/ ई–मेल)			
7.	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की वेबसाइट यू0आर0एल0			
8.	अन्य कोई सापेक्ष सूचना (सर्वाधिक 100 शब्द) महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय बॉटना चाहेगा.			

2. बी.वोक. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कौशल विशेषताएँ

पाठ्यक्रम	विशेषज्ञता का नाम(*)	प्रत्येक वर्ष में आवृत्त कार्य भूमिकाएँ जो प्रस्तावित की गई हैं (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर सहित)			छात्रों का प्रस्तावित प्रवेश(वार्षिक)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	

(*) प्रमाणन के नाम में इसका संकेत वाक्यांश के भीतर किया जाएगा–उदाहरण के लिए बी.वोक. (विशेषज्ञता)

3. प्रस्तावित विषय/प्रश्नपत्र जो तीनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सामान्य शिक्षा घटक में होगा।

	प्रथम वर्ष	क्रेडिट
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	द्वितीय वर्ष	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	तृतीय वर्ष	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

4. **विशेषज्ञताएँ चयन करने का आधारः** विशेषज्ञता का विकल्प निम्न पर आधारित होना चाहिएः–

अ) कौशल में अन्तराल संबंधी आवश्यकताएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम उद्योग की अनिवार्यताओं को पूरा कर रहा है;

ब) विशेषज्ञता के विषय में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पास दक्षता है; तथा

स) रूपांकन, सम्प्रेषण, अन्तरंग प्रशिक्षण एवं स्थापन के लिये विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पास एक या उससे अधिक उद्योग के वचनबद्ध भागीदार हैं।

प्रत्येक विशेषज्ञता विषय के विकल्प का विस्तृत आधार स्पष्ट करें। इस प्रस्ताव की अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

4.1 <u>कौशल अन्तराल जो चिन्हित किए गएः</u>

	विशेषज्ञता	**कौशल अन्तराल जो चिन्हित किये गए** (संख्यात्मक, गुणात्मक, स्रोत)
1.		
2.		
3.		

4.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वर्तमान विशेषज्ञताः

	विशेषज्ञता	**वर्तमान विशेषज्ञता** (जिसका भारोत्तोलन संस्थान द्वारा किया जा सकता है)
1.		
2.		
3.		

4.3 **(उद्योग भागीदार)**

क्र. सं.	विशेषज्ञता	उद्योग भागीदारों का विवरण		
		संगठन का नाम एवं पता	**भागीदारी/समर्थन का स्वरूप (*)**	**अधिकारी का नाम, पद एवं सम्पर्क विवरण**
1.				
2.				
3.				
4.				

(*) पाठ्यचर्या रूपांकन, विषयवस्तु सृजन, प्रवेश, पठ्यक्रम संचालन, अवसंरचना का प्रावधान (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय,नियोक्ता के स्थान का पता) अन्तरंग स्थिति, स्थापन इत्यादि।

4.3.1 **उद्योग के भागीदारों के साथ यदि कोई ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. संलग्न करें।**

5. पाठ्यचर्या रूपांकन एवं अनुमोदन

5.1 पाठ्यचर्या रूपांकन की प्रस्तावित विधि एवं योजना क्या है ? विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कैसे सुनिश्चित करेगा कि पाठ्यचर्या बी.वोक. पाठ्यक्रम के लक्ष्यों पर पूरी उतरती है ?

5.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के उपयुक्त निकाय द्वारा पाठ्यचर्या अनुमोदन का स्तर/योजना?

6. छात्र व्यवस्थापन योजना :

6.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, छात्रों का प्रभावी व्यवस्थापन तन्त्र किस प्रकार स्थापित करेगा ?

7. शिक्षकः

7.1 संकाय सदस्यों की उपलब्धता (प्रथम वर्ष के लिए)

	विशेषज्ञता / क्षेत्र	अनिवार्य रूप से संकाय सदस्य	संस्थान में उपलब्ध	भर्ती किए जाने वाले	अतिथि शिक्षक	उद्योग भागीदार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अतिथि शिक्षक
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

7.2 शैक्षणिक प्रशिक्षण की आवश्यकताएँ (प्रथम वर्ष के लिए)

क्र. सं.	विशेषज्ञता / क्षेत्र	आवश्यक प्रशिक्षण का विवरण एवं अवधि	प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाला
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

8. अवसंरचना की उपलब्धता

8.1.1 भौतिक अवसंरचना का विवरण

	विशेषज्ञता का नाम	भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता		
		अवसंरचना	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में उपलब्ध	उद्योग भागीदार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली
1		कक्षा कक्ष		
		प्रयोगशाला		
		कार्यशाला		
		पुस्तकालय		
		सूचना प्रोद्योगिकी सुविधा		
		अन्य		
2.		कक्षा कक्ष		
		प्रयोगशाला		
		कार्यशाला		
		पुस्तकालय		
		सूचना प्रोद्योगिकी सुविधा		
		अन्य		
3.		कक्षा कक्ष		
		प्रयोगशाला		
		कार्यशाला		
		पुस्तकालय		
		सूचना प्रोद्योगिकी सुविधा		
		अन्य		

9. **व्यय का विवरणः** (ऐसा माना जाता है कि मौजूदा अवसंरचना/संकाय का यथा संभव उपयोग किया जाएगा। जिस व्यय को यहॉ सूचीबद्ध किया जाना है वह केवल विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेतन वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है)

क्र.सं.	घटक	व्यय (राशि रुपयों में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल	(व्यय का औचित्य प्रस्तुत करें)
1.	**संकाय/सदस्य**					
अ.	अनुबन्धात्मक					
ब.	अतिथि					
स.	प्रयोगशाला सहायक					
द.						
2.	**प्रयोगशाला/कार्यशाला/कक्षाओं के लिए उपकरण**					
अ.						
ब.						
स.						
3.	**प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं के लिए कच्चा माल**					
अ.						
ब.						
स.						
4.	**संकाय प्रशिक्षण**					
अ.						
ब.						
5.	**प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश–पूर्व छात्र परामर्श आदि**					
6.	**कार्यालय व्यय/ आकस्मिक** (पत्राचार,मार्गदर्शन एवं परामर्श,यातायात, क्षेत्रीय दौरे डाक टिकट, लेखन सामग्री, बिजली, पानी इत्यादि पर व्यय सहित)					
7.	**यात्रा**					
8.	**अन्य**					
अ.	निर्धारण					
ब.	आकस्मिक					
स.	कार्यशाला/ सम्मेलन/संगोष्ठियॉ					
द.	अन्य कोई व्यय					
	कुल					

10. छात्र/शिक्षार्थी शुल्क विवरणः

(सभी सख्या रुपयों में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	वार्षिक शुल्क प्रति छात्र	प्रस्तावित छात्र प्रवेश प्रति वर्ष				संग्रहित किया जाने वाला कुल प्रस्तावित शुल्क			
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल
1.										
2.										
कुल										

11. विशिष्ट उपलब्धि/प्रथम वर्ष के लिए योजना

	उपलब्धि योजना/उपलब्धि	दायित्विक व्यक्ति	कार्य पूरा किये जाने की आशान्वित तिथि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

12. कोई अन्य सूचना जो मेजबान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय उपलब्ध कराने का इच्छुक है।

————————————————————

मेजबान संस्था के प्रमुख के सील सहित हस्ताक्षर

नाम :

दिनांकः

अनुलग्नक– II

अधिदेश प्रारुप

इलेक्ट्रोनिक शोधन सेवा(क्रेडिट क्लीयरिंग)/भुगतान प्राप्ति के लिये वास्तविक समय सकल निर्धारण सुविधाऍं (आर.टी.जी.एस.).

अ. खाता धारक का विवरणः–

1.	खाता धारक का नाम	
2.	सम्पर्क के लिए पूरा पता	
3.	दूरभाष सं./फैक्स/ई–मेल	

ब. बैंक खाते का विवरणः–

1.	बैंक नाम	
2.	शाखा का नाम पूरा पता सहित, दूरभाष सं.एवं ई–मेल	
3.	क्या शाखा कम्प्यूटराइज्ड है ?	
4.	क्या शाखा आरटीजीएस के योग्य है? यदि है तो उसका आईएफसी कोड क्या है?	
5.	क्या शाखा एनईएफटी के भी योग्य है?	
6.	बैंक खाते का स्वरूप (बचत/चालू/नकद साख)	
7.	पूर्ण बैंक खाता सं. (नवीनतम)	
8.	बैंक का एमआईसीआर कोड	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है। यदि लेन देन बिना कारण व अपूर्ण सूचना से देर से हुआ है अथवा प्रभावित हुआ है, तो मैं संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैंने विकल्प निमन्त्रण पत्र पढ़ा है, तथा इस परियोजना के अन्तर्गत एक भागीदार के रूप में आशान्वित रूप से दायित्व पूरा करने के लिए स्वीकृति देता हूँ।

दिनांकः निवेशक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही है।

(बैंक की मोहर)

दिनांकः निवेशक के हस्ताक्षर

1. चेक की एक छाया प्रति के साथ बैंक से प्राप्त किया गया सत्यापन संलग्न करें।
2. आपका बैंक यदिः ''आर.टी.जी.एस. सक्षम'' नहीं है तो इस शाखा के ''आर.टी.जी.एस. सक्षम'' रूप में पदोन्नत होने पर कृपया उपरोक्त प्रारूप में सूचना शीघ्र ही विभाग को भेज दें।

नोटः ई–भुगतान के दिनांक 01.04.2012 से संचालित हो जाने के कारण, अधिदेश प्रारुप, बैंक द्वारा सत्यापित कराके प्रतिभूति जमाराशि/भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए, चैक की एक कोरी छायाप्रति के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अनुलग्नक– III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रु.———————————(रुपये ....) जिसे यूजीसी के पत्र सं.....................................दिनांक..........................के द्वारा (अनुलग्नक घ के अनुसार) संस्वीकृत किया गया था उस राशि को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न व्यय विवरण के अनुसार उपयोग कर लिया गया है तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा समस्त निबन्धन एवं शर्तों का अनुपालन पूर्णरूपेण किया गया है तथा अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य से किया गया है जिसके लिए यह अनुदान संस्वीकृत किया गया था तथा जिसे यूजीसी के अनुमोदन पत्र सं...दिनांक......................................द्वारा स्वीकृत किया गया है।

इसके साथ ही प्रमाणित किया जाता है कि जैसा कि संलग्न विवरण में संकेत है सभी स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पत्तियॉ जो सम्पूर्णतः अथवा मुख्यतः यूजीसी अनुदान में से सृजित/अर्जित की गई हैं उनका निर्धारित प्रारुप में अनुरक्षण किया जा रहा है तथा उन्हें अद्यतन रुप से रखा जा रहा है तथा ऐसी परिसम्पत्तियों का न तो विक्रय, ऋणग्रस्त अथवा किसी भी अन्य उद्देश्य से उपयोग किया गया है।

किसी जॉच पड़ताल अथवा लेखा परीक्षण के आधार पर परिणामतः कोई अनियमितता बाद में किसी स्थिति में पाई जाती है तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय आपत्ति उठाई गई राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

—————————————————   ————————————

प्राचार्य/कुलसचिव के हस्ताक्षर   लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर

सील सहित   सील सहित

नोटः— उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित विवरण जिसमें विभिन्न मदों पर किया गया व्यय दर्शाया गया हो, उसे सम्मिलित किया जाए।

अनुलग्नक– IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बी.वोक. पाठ्यक्रम/डिप्लोमा/उन्नत डिप्लोमा/डिग्री) के लिए किये गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रारुप

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नामः
2. वोकेशन डिग्री/उन्नत डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रमः
3. यूजीसी संस्वीकृति पत्र की संख्या एवं तिथि
   संख्या.....तिथि.....
4. जिस अवधि से संबंद्ध है प्रभावी दिनांक.....से .....तक
5. वास्तविक व्यय का विवरणः

	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अव्ययित शेष	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)

नोटः

1. प्रत्येक वोक. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रथक रुप से व्यय विवरण निर्दिष्ट करा जाना चाहिए।
2. क्रय किए गए उपकरणों की सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. संचालित की गई कक्षाओं, प्रत्येक शिक्षक को दी गई राशि, नाम सहित जो अतिथि संकाय एवं अंतरंग संकाय में हैं– उनका विवरण प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर

संस्थान के अध्यक्ष/प्राचार्य/कुल सचिव. शाशकीय लेखा परीक्षक/सी.ए.

अनुलग्नक– V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जिसे वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

1. संस्थान का नाम एवं पताः
2. संस्थान के अध्यक्ष का नामः
3. प्रगति रिपोर्ट की अवधिः
4. वर्ष में संचालित की गई गतिविधियॉः
5. वर्ष के दौरान अनुदान की उपयोगिता हुईः
6. विशिष्ट निष्कर्ष
7. क्रियान्वयन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ाः

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रगति रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े/ सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं संज्ञान में सत्य एवं सही हैं तथा आवश्यक दस्तावेज जैसे ही तथा जब भी मंगाये जायेंगे उसी समय उन्हें यूजीसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

————————————————————

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यक्ष

के हस्ताक्षर–सील सहित

स्थानः

तिथिः